निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के कृषकों द्वारा उत्पादित धान के उपार्जन एवं विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत चावल जमा करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूर्ति करने खरीफ विपणन वर्ष 2026–27 हेतु कुल अनुमानित राशि ₹ 39,500.00 करोड़ (अक्षरी – उनचालीस हजार पांच सौ करोड़ मात्र) की साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण सुविधा के प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' तथा वित्तीय संस्थाओं से निम्नानुसार शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित किया जाता है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर को अनुमानित राशि ₹ 39,500.00 करोड़ (अक्षरी – उनचालीस हजार पांच सौ करोड़ मात्र) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्तानुसार स्वीकृत राशि में से नवम्बर, 2026 तथा इसके पश्चात् आवश्यकता अनुसार किश्तों में राशि आहरित की जा सकेगी।

2. छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ हेतु न्यूनतम प्रस्ताव राशि ₹ 500.00 करोड़ (अक्षरी– पांच सौ करोड़ मात्र) का होगा।

3. प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा कि वर्तमान में स्वीकृत साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण/पूंजी ऋण का उपयोग खरीफ वर्ष 2026–27 के लिये किया जा सकेगा अथवा नहीं तथा यदि वर्तमान साख–सीमा के अतिरिक्त प्रस्ताव दिया जाना है, तो तदानुसार उल्लेख किया जावे।

4. साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण की सिक्योरिटी विपणन संघ हेतु उपार्जित धान/सी.एम.आर. चावल का स्टाक एवं बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन से किया जा सकेगा।

5. साख–सीमा सुविधा तथा इसके विरूद्व सिक्योरिटी हेतु मार्जिन राशि शून्य रहेगी।

6. प्रोसेसिंग एवं दस्तावेज शुल्क शून्य रहेगी।

7. साख–सीमा से राशि का आहरण उपार्जित धान की मात्रा व आवश्यकतानुसार किया जावेगा।

8. स्वीकृत साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण पर दण्ड ब्याज अधिकतम 2% मान्य किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश अथवा बैंक अवकाश/रविवार अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर भुगतान करने की स्थिति में कोई दण्ड ब्याज मान्य नहीं किया जावेगा।

9. प्रस्तावित की गई ब्याज दर फ्लोटिंग दर/एम.सी.एल.आर./रेपो दर (न्यूनतम 01 माह के दर) के लिए ही प्रस्तुत की जावे। ब्याज रिसेट तथा बैंको द्वारा WCDL का प्रस्ताव दिये जाने की स्थिति में कैश केडिट से भुगतान की सुविधा होनी चाहिए। फ्लोटिंग दर/एम.सी. एल.आर./रेपो दर के उपर अधिक्तम 0.10% तक स्प्रेड मान्य होगा। इसके उपर कोई स्प्रेड मान्य नहीं होगा।

क्रमश...2

10. बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें राज्य शासन की प्रत्याभूति के साथ तथा राज्य शासन की प्रत्याभूति के बिना दोनों रूप में दी जावें।

11. निविदाकर्ता बैंक की शाखा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।

12. साख–सीमा सुविधा स्वीकृति दिनांक से 06 माह से 01 वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध करायी जावे। विपणन संघ द्वारा राशि की उपलब्धता के आधार पर समय पूर्व भुगतान अथवा भुगतान हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि, जैसी भी स्थिति हो, उपयोग किया जावेगा।

13. प्रस्ताव स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 07 दिवस की सीमा में साख–सीमा सुविधा आहरण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

14. साख–सीमा सुविधा के विरूद्ध वास्तविक आहरण की तिथि से ही ब्याज देय होगा।

15. ऋण पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व भी भुगतान किया जा सकेगा तथा समयावधि के पूर्व भुगतान करने पर विपणन संघ द्वारा कोई दांडिक ब्याज देय नहीं होगा एवं भुगतान करने की तिथि तक ही वास्तविक ब्याज की राशि भुगतान की जा सकेगी। ऋणो का पुनर्भुगतान समस्त बैंकिंग कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। संघ पर किसी भी समय में बैंकों द्वारा स्वीकृत साख–सीमा का पूर्ण उपयोग किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।

16. ऋणों का पुनर्भुगतान करने हेतु सूचित करने की अवधि अधिकतम 03 बैंकिंग कार्य दिवस होगी।

17. निविदा शर्तो के तहत समस्त बैंको द्वारा दिये गये ऑफर के विरूद्ध निर्धारित की गई ब्याज दर में परिवर्तन हर माह के प्रथम कार्य दिवस पर ही किया जावेगा। बैंको द्वारा माह के मध्य में किसी भी प्रकार की ब्याज दर में परिवर्तन विपणन संघ को मान्य नहीं होगी। बैंक द्वारा प्रदाय लागू दर के आधार पर विपणन संघ द्वारा न्यनूतम ब्याज दर के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

18. जिन बैंकों के ऑफर स्वीकृत किये जायेंगे, उन्हें निविदा की शर्तो को सम्मिलित कर तैयार किये गए अनुबंध पत्र में अनुबंध का निष्पादन कराया जाना होगा।

19. विपणन संघ का वित्तीय वर्ष 2024–25 तक उपलब्ध अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के आधार पर ही साख–सीमा/टर्म लोन ऋण उपलब्ध कराना होगा।

20. यदि सफल ऑफरकर्ताओं से संपूर्ण राशि की व्यवस्था नहीं हो पाती है और न्यूनतम से अधिक ब्याज दर ऑफर करने वाले अगले बैंकों से साख/ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी दशा में अगले बैंको से न्यूनतम ब्याज दर के समान अथवा उसके निकट दर पर ही साख/ऋण देने की सहमति दिये जाने हेतु निगोशियेशन बैठक में प्रस्ताव रखा जावेगा।

क्रमश...3

21. बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त ब्याज दर के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार निगोशियेशन के पश्चात् प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा। बैंको द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को मान्य/अमान्य करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।

उपरोक्त साख–सीमा उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' अनुसार)/वित्तीय संस्थान अपने लेटर हेड पर प्रस्ताव पृथक–पृथक सील बंद लिफाफे में दिनांक 18/09/2026 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छठवीं मंजिल, टावर "सी" कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सीबीडी, सेक्टर 21, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड 492002 में जमा कर सकेंगे।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संपर्क–

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छठवीं मंजिल, टॉवर "सी" कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी., सेक्टर–21 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर 492002
दूरभाष क्रमांक–0771.2425420/2425400
इ–मेल –mf_ctrlroom_raipur@gov.in

(मो. इमरान खान)
वित्तीय नियंत्रक